न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 10/2014 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— हरिराम पुत्र श्री बगड़ावतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 के.डी. पुलिस थाना, रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

राजस्थान राज्य।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री गगन मोदी — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 23.1.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति. जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 01.08.2014, जिसमें अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 41/84 डीएम श्रीगंगानगर को निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 41/84 डीएम श्रीगंगानगर दिनांक 31.07.2008 तक नवीनीकृत था, जिस पर 12 बोर डीबीबीएल गन सं. 29304 दर्ज है। अपीलांट द्वारा अपने लाईसेंस के आगामी वर्षो के लिये नवीनीकरण करवाने का आवेदन पत्र दिये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 23.11.2011 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा नं. 234/04 अन्तर्गत धारा 341,332,353,283,147,148,149 आईपीसी में चालान, राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 16.07.10 को मुकदमा वापिस लिया एवं मुकदमा नं. 115/99 अन्तर्गत धारा 147,447 आईपीसी एवं 27 आर्म्स एक्ट में चालान एवं सजा होने के कारण अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना अनुचित है, की अनुशंषा की गई। इस पर अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई एवं जवाब हेतु नोटिस जारी किया तथा अपीलान्ट द्वारा जवाब नोटिस में 3 वर्ष 1 माह 15 दिनों के विलम्ब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाने पर अति.जिला मजिस्ट्रेट,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सूरतगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2014 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 14/84 डीएम श्रीगंगानगर को निरस्त किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र वर्ष 2008 तक नवीनीकृत था। वर्ष 2007 में घड़साना रावला किसान आन्दोलन के दौरान पुलिस थाना रावला ने अपीलांट की बन्दूक जमा कर ली थी तथा अपीलांट ने दिनांक 31.07.2008 को अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करवाने हेतु ए.डी.एम. सूरतगढ कार्यालय में जमा करवाया था। अपीलांट को ए.डी.एम. सूरतगढ से कहा गया था कि अभी आन्दोलन के कारण सारा रिकार्ड अस्त–व्यस्त है। फीस जमा कराने की सूचना अपीलांट को जरिये डाक से भेजने को कहा। काफी समय तक जब अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं हुआ तथा पैसे जमा कराने का आदेश नहीं हुए तो प्रार्थी दिनांक 15.09.2011 को ए.डी.एम. सूरतगढ कार्यालय गया तो न्यायिक लिपिक ने अपीलांट को जानकारी दी कि अपीलांट द्वारा पूर्व में नवीनीकरण करने हेतु दिया गया फार्म गुम हो गया है। अब नया फार्म भर कर देवें। तब अपीलांट ने दिनांक 15.09.2011 को पुनः प्रार्थना पत्र भरकर दिया। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 1.8.2014 को बिना किसी आधार के खारिज कर दिया। मातहत अदालत ने अपनी गलती छुपाते हुए अपीलांट की गलती मान कर नवीनीकरण में देरी हुई है, अपीलाधीन आदेश में जो कारण दिया है वह उचित नहीं है। मातहत अदालत ने जिन मुकदमों का हवाला दिया है उनमें अपीलांट निर्दोष है तथा मु.नं. 115/99 में अपीलांट को सजा न देकर केवल वार्निंग (प्रताड़ित) कर छोड़ दिया गया है। जिन धाराओं का वर्णन किया गया है वे गंभीर प्रकृति की नहीं है। मातहत अदालत का निर्णय अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा तथ्य छुपाकर 03 वर्ष 1 माह 15 दिन की देरी से शस्त्र नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र पत्र प्रस्तुत किया गया । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 23.11.11 में अपीलांट के विरूद्ध दो आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख किया गया है तथा अपीलांट को शस्त्र

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना अनुचित बताया है। गृह (ग्रुप–9) विभाग, राज. सरकार के परिपत्र दिनांक 24.06.2011 के अनुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण में तीन वर्ष से अधिक देरी होने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त समझा जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलांट ने अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र तीन वर्ष से अधिक अवधि के विलम्ब से नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किया है, इस संबंध में विलम्ब का कारण वर्ष 2007 में हुए किसान आन्दोलन के कारण उसके शस्त्र पुलिस थाना में जमा होना ए.डी.एम. सूरतगढ के समक्ष निश्चित समयावधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन करने का कथन तो किया है परन्तु इस संबंध में कोई साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसके अलावा अपीलांट के विरूद्ध दो फौजदारी आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुए हैं, जिसके आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.11.11 में अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने को अनुचित बताया है।

7. हम विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में लिये गये आधार से सहमत नहीं हैं क्योंकि शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.7.08 तक पूर्व में नावीनीकृत था, उक्त तिथि के पश्चात वर्ष 2008 से वर्ष 2011 के दरम्यान नवीनीकरण के आवेदन पत्र को प्रस्तुत किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी कोई युक्तियुक्त कारण भी हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किये हैं । उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हम अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2014 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 23.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर